प्रेषक, संख्या– /5 8//8–3–14–09विविध/14

पी०एन० यादव,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक 22 अगस्त, 2014

विषयः– खसरा नं0–519, 522, 523, 524 व 525/5 एवं 33/4 ग्राम छजारसी पर मानचित्र स्वीकृति के समय क्रय योग्य एफ.ए.आर. शुल्क किश्तों में लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–443/मास्टर प्लान/13 दि0 02.01.14 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– प्रकरण में क्रय योग्य एफ.ए.आर. शुल्क की वसूली हेतु किश्तों के निर्धारण की व्यवस्था निम्न प्रक्रिया अपनाते हुए औचित्य पूर्ण है:–

(1) व्यक्तिगत आवेदक, कम्पनी/निजी विकासकर्ता तथा सहकारी आवास समिति के प्रकरणों में भू–खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर एकमुश्त देय क्रय–योग्य एफ.ए. आर. शुल्क की अलग–अलग अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और शुल्क की धनराशि उक्त निर्धारित सीमा से अधिक होने की दशा में ही किश्तों की सुविधा दी जानी चाहिए।

(2) क्रय–योग्य एफ.ए.आर. शुल्क का भुगतान किश्तों में किये जाने की दशा में साधारण ब्याज की दर तथा समय से भुगतान न करने की दशा में दण्ड ब्याज की दर निर्धारित की जानी चाहिए।

(3) किश्तों में भुगतान के संबंध में आवेदक तथा प्राधिकरण के मध्य एग्रीमेन्ट निष्पादित होना चाहिए।

(4) शुल्क के भुगतान में डिफाल्ट की स्थिति में भू–राजस्व बकाये के रूप में वसूली के लिए भी प्राविधान किया जाना चाहिए।

3– अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण को उपरोक्त शर्तों के अधीन प्राधिकरण बोर्ड बैठक में प्रस्तुत कर, बोर्ड की सहमति उपरांत प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण करने का कष्ट करें।

उक्त के अतिरिक्त इसे समस्त प्राधिकरणों में लागू करने हेतु स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अन्य प्राधिकरणों से विचार–विमर्श उपरांत एक सामान्य नीति निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके।

भवदीय

(पी०एन० यादव)
अनु सचिव

स0-ड0-3